(132)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/4299 विरूद्ध आदेश दिनांक 23-10-2017 पारित द्वारा नायब तहसीलदार, वृत सुपावली प्रकरण क्रमांक 6/2016-17/अ-70.

---

1. रामनाथ सिंह गुर्जर पुत्र रामभरोस
   निवासी ग्राम वीरपुर
   तहसील मुरार जिला ग्वालियर
2. मनोज गुर्जर पिता रामवरन गुर्जर
3. भगवान सिंह पुत्र रामसिंह
   निवासीगण ग्राम सिरोली
   तहसील व जिला ग्वालियर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1. अरूण पाल सिंह चौहान पुत्र रघुनंदन सिंह चौहान
2. श्रीमती माया चौहान पत्नी अरूण पाल सिंह चौहान
   निवासीगण 192, श्रृद्धा अपार्टमेन्ट
   फूलबाग, लश्कर, ग्वालियर .....असल अनावेदकगण
3. जण्डेल सिंह पुत्र बुद्धाराम गुर्जर
4. महेन्द्र सिंह पुत्र गम्भीर सिंह
5. राजेन्द्र सिंह पुत्र गम्भीर सिंह
6. निरंजन पुत्र गम्भीर सिंह
   निवासीगण ग्राम सिरोली
   तहसील व जिला ग्वालियर .....तरतीवी अनावेदकगण

श्री एन.डी. शर्मा,अभिभाषक, आवेदकगण

श्री लखन सिंह धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 11/5/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत नायब तहसीलदार, वृत सुपावली द्वारा पारित दिनांक 23-10-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा उनके भूमि स्वामी स्वत्व की ग्राम सिरोली स्थित प्रश्नाधीन भूमि से आवेदगण सहित अनावेदक क्रमांक 3 लगायत 6 को बेदखल किये जाने हेतु संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत आवेदन पत्र कलेक्टर, जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किया गया । कलेक्टर द्वारा उक्त आवेदन पत्र तहसील न्यायालय को भेजा गया । नायब तहसीलदार वृत्त सुपावली द्वारा प्रकरण क्रमांक 6/2016-17/अ-70 दर्ज कर कार्यवाही प्रारंभ की गई । कार्यवाही के दौरान आवेदक पक्ष द्वारा आपत्ति प्रस्तत की गई । तहसील न्यायालय द्वारा दिनांक 23-10-2017 को आदेश पारित कर आवेदक पक्ष की आपत्ति निरस्त की गई । तहसील न्यायालय के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तत की गई है ।

3/ नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत आपत्ति का विधिवत निराकरण नहीं किया है, क्योंकि आवेदकगण द्वारा यह आपत्ति प्रस्तत की गई थी अनावेदक क्रमांक 1 व 2 द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अवधि बाह्य है तथा आवेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि तहसील न्यायालय द्वारा वर्ष 1995 के पूर्व दी गई थी, तभी से प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण का आधिपत्य चला आ रहा है । जैसा कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 76/2010-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 22-4-2013 में मान्य किया गया है, किन्तु नायब तहसीलदार द्वारा आवेदकगण की ओर से उठाये गये बिन्दुओं का निराकरण नहीं किया गया है । यह भी कहा गया कि सीमांकन की कोई सूचना आवेदकगण को नहीं दी गई है और न ही उनके समक्ष

सीमांकन किया गया है, इसलिए संहिता की धारा 250 का प्रकरण चलने योग्य नहीं है, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है । तर्क में यह भी कहा गया कि तहसील न्यायालय का यह निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है कि सीमांकन वर्ष 2016 में किया गया है, जिसके विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय का कोई स्थगन नहीं है, क्योंकि उक्त सीमांकन के विरूद्ध राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रकरण क्रमांक 2731-पीबीआर/17 प्रचलित है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा प्रकरण में विशेष रूचि शीघ्रता से सुनवाई की जा रही है, जिससे तहसील न्यायालय की कार्यवाही संदेहास्पद है । यह भी कहा गया कि संहिता की धारा 250 की कार्यवाही को व्यवहार न्यायालय द्वारा उचित नहीं माना है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर उनका कब्जा है और अनावेदक क्रमांक 1 व 2 का किस भूमि पर कब्जा है, यह नहीं बताया गया है ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन की कार्यवाही आवेदकगण की उपस्थिति में किया गया है। यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा हरलाल का स्वत्व नहीं माना है, इसलिए आवेदकगण का भी प्रश्नाधीन भूमि पर कोई स्वत्व नहीं है । तर्क में यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय की डिक्री आवेदकगण के विरूद्ध है । प्रश्नाधीन भूमि पर आवेकदकगण का कब्जा मिलने के संबंध में कोई प्रमाण नहीं है । यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा गुण-दोष के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया जाना है, किन्तु आवेदकगण प्रकरण लम्बित रखने के उद्देश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर गनपत राव का स्वत्व है, जो कि हमारा प्रोड्यूसर है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गय कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है ।

प्रत्युत्तर में आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि हरलाल से हमारा कोई संबंध नहीं है, प्रश्नाधीन भूमि हमें शासन से नीलाम में प्राप्त हुई है और गनपत राव ने कब्जा वापिसी हेतु हमारे विरूद्ध कोई कार्यवाही नहीं की है । यह भी कहा गया कि सह खातेदार को सहखातेदार के विरूद्ध दावा करने का कोई अधिकार नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के अभिलेख को देखने से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय द्वारा वर्ष 2016 में प्रश्नाधीन भूमि का किया गया सीमांकन विधिवत माना गया है और आवेदकगण द्वारा सीमांकन कार्यवाही के विरूद्ध वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय द्वारा आवेदकगण की आपत्ति निरस्त करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । आवेदकगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष अधिकांश बिन्दु गुण-दोष पर उठाये गये हैं और चूंकि तहसील न्यायालय द्वारा अभी प्रकरण का निराकरण गुण-दोष पर किया जाना है, जहां उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर उपलब्ध है । उभय पक्ष द्वारा इस न्यायालय के समक्ष जो दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैं, वह तहसील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र हैं । अत: आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी में इस स्तर पर हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं होने से निगरानी निरस्त किये जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार, वृत सुपावली द्वारा पारित दिनांक 23-10-2017 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर